रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 165] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 16, 2013/पौष 26, 1934
No. 165] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 16, 2013/PAUSA 26, 1934

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 2013

का.आ. 174(अ).—केन्द्र सरकार, खादी और ग्रामोद्योग नियमावली, 2006 के नियम 15 के साथ पठित खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 61) की धारा 10 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 13 सितम्बर, 2010 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित दिनांक 10 सितम्बर, 2010 के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 2231(अ) में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है जो इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे, नामतः :—

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या 3 और 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए क्रमशः निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामतः :—

क्रम संख्या	नाम/पदनाम	अध्यक्ष/सदस्य	नियुक्ति की अवधि
(1)	(2)	(3)	(4)
"3.	श्री जयनन्दु, (आंचलिक सदस्य) पूर्वोत्तर अंचल, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, 3-इर्ला रोड, विले पार्ले (पश्चिम), मुम्बई-400056	सदस्य	छः माह
4.	श्री भूपाल सिंह, (विशेषज्ञ सदस्य), खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, 3-इर्ला रोड, विले पार्ले (पश्चिम), मुम्बई-400056	सदस्य	छः माह ।" ।

[फा. सं. 6/6/2010-केवीआई-II]

सी. के. मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पणी.— प्रमुख अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. 2231(अ), दिनांक 13 सितम्बर, 2010 और बाद में का.आ. 71(अ), दिनांक 13 जनवरी, 2012 संशोधित रूप में प्रकाशित हुई ।

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th January, 2013

S.O. 174 (E).—In exercise of the powers conferred by Section 10 of the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 (61 of 1956), read with rule 15 of the Khadi and Village Industries Commission Rules, 2006 the Central Government hereby , makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises S.O. 2231(E), dated the 10th September, 2010, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 13th September, 2010, which will take effect from the date of publication of this notification, namely :—

In the said notification, for serial numbers 3 and 4 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall respectively be substituted namely:—

Serial Number	Name/Designation	Chairman/Member	Term of Appointment
(1)	(2)	(3)	(4)
"3.	Shri Jainandu, (Zonal Member), Eastern Zone, Khadi and Village Industries Commission, 3-Irla Road, Vile Parle (West), Mumbai-400056	Member	six months
4.	Shri Bhupal Singh, (Expert Member), Khadi and Village Industries Commission 3-Irla Road, Vile Parle (West), Mumbai-400056	Member	six months".

[F. No. 6/6/2010-KVI-II]

C. K. MISHRA, Jt. Secy.

Note:— The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 2231(E), dated the 13th September, 2010 and subsequently amended *vide* number S.O. 71(E), dated the 13th January, 2012.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.